राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-2)विभाग

प.14(181)/कार्मिक/क-2/2018 जयपुर, दिनांक 07.02.2020

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान,जयपुर

परिपत्र

विभिन्न विभागों द्वारा उनमें रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विभिन्न भर्ती एजेंसियों यथा राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आदि के माध्यम से विज्ञप्ति जारी की जाती है। उक्त विज्ञप्तियों में कुछ कमियों रह जाने के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में वाद दायर कर दिया जाता है, जिससे भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है या अनावश्यक विलम्ब होता है तथा बेरोजगार अभ्यर्थियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

राज्य सरकार सभी राजकीय विभागों में रिक्त पदों के विरूद्ध समयबद्ध रूप से भर्ती कराने हेतु कृत संकल्प है। राज्य सरकार का नीतिगत निर्णय है कि सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी नौकरियों से सम्बंधित प्रकरण जो माननीय न्यायालयों में लम्बित है, उनके शीघ्र सकारात्मक निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।

अतः सभी विभागों को यह निर्देशित किया जाता है कि भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व सम्बंधित सेवा नियमों में विहित प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण वर्गीकरण, योग्यता का निर्धारण, पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना इत्यादि बिन्दुओं की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करें, जिससे अनावश्यक वादकरण की स्थिति उत्पन्न ना हो। साथ ही जिन भर्तियों से सम्बंधित प्रकरण माननीय न्यायालय में लम्बित है, उनके शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जावें।

विभागों द्वारा भर्तियों में न्यायिक विवादों के निस्तारण में शिथिलता को राज्य सरकार के स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

12/2020